



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276824
CG-DL-E-06102026-276824

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 297]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) – 03/2025

विषय: ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल अथवा वहां से निर्यातित “लो ऐश मेटलर्जिकल कोक” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों का शुद्धिपत्र।

फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकरण (जिसे आगे “प्राधिकरण” भी कहा गया है) ने ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल अथवा वहां से निर्यातित “लो ऐश मेटलर्जिकल कोक” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के

आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में 28 अप्रैल 2026 की अधिसूचना सं. 6/03/2025-डीजीटीआर के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम (जिन्हें आगे “अंतिम जांच परिणाम” कहा गया है) जारी किए, जिनमें संबंधित देशों से संबंधित वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। उक्त सिफारिश के आधार पर, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2026 की अधिसूचना संख्या 18/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है।

2. प्राधिकरण ने अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 26 में, फेरोएलॉय विनिर्माण में उपयोग हेतु अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक तथा पिग आयरन विनिर्माण हेतु 130 घन मीटर तक की ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग हेतु 20-40 मि.मी. आकार के एलएएम कोक को, वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों के अधीन, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित किया। प्राधिकरण ने अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 326 और 327 में आगे स्पष्ट किया कि उक्त अपवर्जन वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के आधार पर प्रदान किए गए हैं और ऐसे आयात पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना केवल तभी किए जा सकेंगे जब वे वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आयात किए जाएं। तदनुसार, अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 333 से संलग्न शुल्क सारणी के नीचे दिए गए नोट में यह प्रावधान है कि उक्त अपवर्जन वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आयात तथा वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष समुचित और विधिक रूप से प्रवर्तनीय वचनबंध प्रस्तुत करने के अधीन हैं, और 20-40 मि.मी. आकार के एलएएम कोक के मामले में, उपयोगकर्ता की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करने वाला संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन हैं।
3. सीमा शुल्क प्राधिकारियों को स्पष्टता प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपवर्जन का लाभ केवल पात्र वास्तविक उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट अंतिम उपयोग हेतु ही प्राप्त हो, प्राधिकरण यह निर्दिष्ट करना उचित समझता है कि वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त का कार्यान्वयन सीमा शुल्क द्वारा सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर अथवा निर्दिष्ट अंतिम उपयोग हेतु माल का आयात) नियम, 2022 के अनुसार किया जाएगा।
4. तदनुसार, अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 333 से संलग्न शुल्क सारणी के नीचे दिए गए नोट को प्रतिस्थापित किया जाता है और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“*लो ऐश मेटलर्जिकल कोक अर्थात् 18% से कम राख अंश वाला मेटलर्जिकल कोक, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:

- क. फेरोएलॉय विनिर्माण में उपयोग हेतु 0.030% तक फॉस्फोरस अंश वाला, 5% आकार सहनशीलता के साथ 30 मि.मी. तक के आकार का अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक। यह अपवर्जन नीचे दिए गए नोट 1 को पूरा करने वाली वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन है;
- ख. सेमी-कोक अथवा सॉफ्ट कोक;
- ग. पिग आयरन विनिर्माण हेतु 130 घन मीटर तक की ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग हेतु 20-40 मि.मी. आकार का एलएएम कोक (लगभग 30 मि.मी. $\pm$ 2 मि.मी. के औसत आकार सहित)। यह अपवर्जन नीचे दिए गए नोट 1 को पूरा करने वाली वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन है।

नोट 1: उपर्युक्त (क) और (ग) पर दिए गए अपवर्जन केवल तभी उपलब्ध होंगे जब माल का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट अंतिम उपयोग में अपनी स्वयं की खपत के लिए किया जाए, और यह वास्तविक आयात तथा अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष समुचित और विधिक रूप से प्रवर्तनीय वचनबंध प्रस्तुत करने के अधीन होगा। उपर्युक्त (ग) पर दिए गए अपवर्जन के मामले में, वास्तविक उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता

की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करने वाला, यथालागू, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा, और यह अपवर्जन किसी अन्य उपयोग अथवा किसी अन्य आकार की फर्नेस के लिए लागू नहीं होगा। वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त का कार्यान्वयन सीमा शुल्क द्वारा सीमा शुल्क पत्तन पर माल की निकासी के समय सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर अथवा निर्दिष्ट अंतिम उपयोग हेतु माल का आयात) नियम, 2022 का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।”

5. उपर्युक्त से अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के दायरे, अपवर्जनों अथवा सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इससे केवल प्राधिकरण द्वारा पहले से सिफारिश की गई वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के कार्यान्वयन की रीति को स्पष्ट किया गया है।
6. 28 अप्रैल 2026 के अंतिम जांच परिणामों की अन्य सभी अंतर्वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th September, 2026

CASE NO. AD(OI) – 03/2025

Subject: Corrigendum to the final findings in the anti-dumping investigation concerning imports of “Low Ash Metallurgical Coke” originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia.

F. No. 6/03/2025-DGTR.— 1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) issued final findings vide Notification No. 6/03/2025-DGTR dated 28th April 2026 (hereinafter referred to as the “final findings”) in the anti-dumping investigation concerning imports of “Low Ash Metallurgical Coke” (hereinafter referred to as the “subject goods”) originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia (hereinafter referred to as the “subject countries”), recommending imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries. On the basis of the said recommendation, the Department of Revenue has imposed anti-dumping duty vide Notification No. 18/2026-Customs (ADD) dated 27th July 2026

2. The Authority, in paragraph 26 of the final findings, excluded from the scope of the product under consideration ultra-low phosphorous metallurgical coke for use in ferroalloy manufacturing and LAM Coke of size 20–40 mm for use in blast furnaces up to 130 m³ for pig iron manufacturing, subject to actual user conditions. The Authority further clarified in paragraphs 326 and 327 of the final findings that the said exclusions have been granted on actual user condition basis and that such imports shall be made without payment of anti-dumping duty only if imported by the actual user. The note below the Duty Table appended to paragraph 333 of the final findings accordingly provides that the said exclusions are subject to imports by the actual user and furnishing of an appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use, and in the case of LAM Coke of size 20–40 mm, a valid certificate issued by the concerned State

Pollution Control Board or Central Pollution Control Board certifying the capacity of the blast furnace of the user.

3. In order to provide clarity to the Customs authorities and to ensure that the benefit of the exclusions is extended only to eligible actual users for the specified end use, the Authority considers it appropriate to specify that the actual user condition shall be implemented by Customs in accordance with the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022.
4. Accordingly, the note below the Duty Table appended to paragraph 333 of the final findings shall be substituted and read as under:

*“*Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding the following:*

- a. ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing. This exclusion is subject to actual user condition satisfying Note 1 given below;*
- b. semi-coke or soft coke;*
- c. LAM Coke of size 20–40 mm (with a mean size of approximately 30 mm $\pm$ 2 mm) for use in blast furnaces up to 130 m³ for pig iron manufacturing. This exclusion is subject to actual user condition satisfying Note 1 given below.*

Note 1: The exclusions at (a) and (c) above shall be available only where the goods are imported by the actual user for its own consumption in the specified end use, subject to furnishing of an appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use. In the case of the exclusion at (c) above, the actual user shall also furnish a valid certificate issued by the concerned State Pollution Control Board or Central Pollution Control Board, as applicable, certifying the capacity of the blast furnace of the user, and the exclusion shall not be applicable for any other use or any other furnace size. The actual user condition would be implemented by Customs at the time of clearance of goods at the Customs port by following the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022.”

5. The above does not alter the scope of the product under consideration, the exclusions, or the anti-dumping duty recommended in the final findings, and only clarifies the manner of implementation of the actual user condition already recommended by the Authority.
6. All other contents of the final findings dated 28th April 2026 shall remain unchanged.

AMITABH KUMAR, Designated Authority